

प्र.सं. 36/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

(2)

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।


महोदय,

निवेदन है कि ग्राम तोलाई जमाबंदी सं. 2016 के खाता सं. 151 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		151	शमा शत्रु लक्ष्मण हिस्सा इर्ष जाति चमार सा. 58 धातेदार	शमा शत्रु लक्ष्मण हिस्सा इर्ष जाति - मेघवाल सा. 58 धातेदार


- वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण
1. गोपालराव कवरलालजी नि. तोलाई
 2. कालुरामराव राधुलाल
 3. शिवकिशोर पून भगवतकिशोर
 4.

हस्ताक्षर




रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम तोलाई के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादा खातेदार घोषित होने योग्य है।


हस्ताक्षर पटवारी
प०म०...तोलाई

रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


लेख निरीक्षक
प०म०...तोलाई

17/03/2025

रिपोर्ट तहसीलदार, पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/107

दिनांक : 17/03/25

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम तोलाई के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/ रायन तहसीलदार

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/36

दिनांक : 17.03.25

वादी/प्रार्थी के ग्राम तोलाई के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार पिडावा की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पि.स.। ५१ को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल द्रामद करें।



[Signature]
17/3/25
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)